


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रारूप-6 परिशिष्ट "अ"
(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

- 1- स्व. श्री थानाराम प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाडसर(चूरु) के रूप में कार्यरत थे जिनकी जन्मतिथि 25.06.58 है, जिनका दिनांक-30.10.2015 को राज्य सेवा में रहते निधन हो गया था।
- 2- यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित स्व. श्री थानाराम प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाडसर(चूरु) विरुद्ध आज तक:-
 - 1- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जाँच/विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - 2- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - 3- कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 31-8-16

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/ए-2/थानाराम/2015

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-


- 1- संयुक्त निदेशक पेंशन व पेंशन कल्याण विभाग, बीकानेर।
- 2- उपनिदेशक (माध्यमिक) चूरु।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) चूरु।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाडसर (चूरु)।
- 5- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु।
- 6- अनुभाग अधिकारी विभागीय जाँच/वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
- 7- आश्रित स्व. श्री थानाराम प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाडसर(चूरु)
- 9- प्रभारी- संस्थापन बी-1/3 प्रभाग
- 10- निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रारूप-6 परिशिष्ट"अ"
(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

- 1- श्री दलीपचन्द गोदारा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीरमाना (श्रीगंगानगर) के रूप में कार्यरत थे जिनकी जन्मतिथि 20.08.60 है, और जो दिनांक-01.08.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गये है ।
- 2- यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री दलीपचन्द गोदारा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीरमाना (श्रीगंगानगर) के विरुद्ध आज तक:-
 - 1- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
 - 2- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
 - 3- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर ।

दिनांक- 31-8-16

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/ए-2/दलीपचंद/स्व.से./16

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, बीकानेर ।
- 2- उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बीकानेर ।
- 3- उपनिदेशक (माध्यमिक) बीकानेर ।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) श्रीगंगानगर ।
- 5- प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीरमाना (श्रीगंगानगर)
- 6- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
- 7- श्री दलीपचन्द गोदारा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीरमाना (श्रीगंगानगर) ।
- 8- प्रभारी- संस्थापन बी-1/3 प्रभाग
- 9- निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-4/15601/सेवानिवृत्ति/रजीगृ/2016-17

दिनांक -


आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र.स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्रीमती शशि कला, राउमावि डेगाना-नागौर,	जीव विज्ञान	08.08.1956	31.08.2016
2.	श्रीमती नीरूबाला पाण्डेय, राबाउमावि कोलसिया -झुंझुनू.	गृह विज्ञान	21.08.1956	31.08.2016

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
4. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
5. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 31 /08/2016

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/15601/सेवानिवृत्ति/16-17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक,पेंशन विभाग राजस्थान अजमेर/चुरु
2. संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग नागौर/झुंझुनू
3. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, अजमेर/झुंझुनू
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर-I/II, झुंझुनू
5. संबंधित संस्था प्रधान,
6. संबंधित प्राध्यापक
7. सिस्टम एनालिसिस्ट,कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर